Further, development of airports of international standards with private paricipation at Mumbai. Bangalore. Hyderabad and Goa are under examination. At Amritsar, the existing airport is proposed to be upgraded to international standards, at an estimated cost of Rs. 120 crores, during the 9th plan period.

At least five cities are being identified for devleopment/construction of world-class international airports with 100% foreign investment. A high-level Task Force under the Chairmanship of Dy. Chairman, Planning Commission is looking into this proposal to identify the locations for the new world-class international airports.

Setting up Cargo hubs at International Airports

*228. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 156 given in the Rajya Sabha on 1st December, 1998, and state:

(a) how Government propose to meet the expendure to be incurred on developing Delhi as a 'Major Cargo Hub';

(b) whether Government intends to extend this scheme of cargo hubs to all other international airports in the country; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) Delhi Airport is being developed as a major cargo hub and one of the features will be to have the proposed joint venture project in which the AAI will have minimum equity participation. Meantime works are in hand for expansion of the existing cargo terminal at Delhi at a cost of Rs. 42 crores and which are expected to be completed by April, 2000.

(b) and (c) Yes, Sir. Depending on the experience gained at Delhi Airport, such cargo hubs at other international airports in the country would be taken up.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दरें

*229. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतनमानों तथा उनको मिलने वाले अन्य प्रकार के भत्तों में काफी वृद्धि की गई है; और क्या समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि करना वाजिब है; और

(ग) यदि हां, तो आपरेटिव स्टाफ सहित केन्द्रीय सरकार के समयोपरि भत्ते की संशोधित दरें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की वर्तमान दरें चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनमानों में संशोधन के पश्चात् मार्च 1991 में संशोधित (दिसम्बर 1990 से लागू) की गई थीं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ते को खत्म करने की सिफारिश के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि स्टाफ कार ड्राइवर, कार्यरत कर्मचारियों (ऑपरेशनल स्टाफ) और प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान उपरोक्त विषय पर जारी वर्तमान नियमों और अनुदेशों से अधिशासित करते हुए जारी रखा जाए। यह निर्णय लिया गया है कि समयोपरि भत्ते की पात्रता को और अधिक सीमित करने हेतु मामलों की समीक्षा के साथ-साथ सरकारी काम के हित के अनुरूप ही प्रतिबंधित करते हुए समयोपरि भत्ते के भुगतान की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तद्नुसार अगले आदेशों तक वर्तमान नियमों के अनुसार संबंधित कर्मचारी को पूर्व संशोधित वेतनमान/वेतन परिधि में वर्तमान आदेशों में निहित प्रयोग मूलक वेतन के आधार पर प्राप्त समयोपरि भत्ते का भुगतान जारी रखा गया है।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण

*230. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए

गैर-सरकारी क्षेत्र को गत तीन वर्षों के दौरान ऋण प्रदान किए हैं; यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृत तथा वितरित किए गए ऋणों की सहायता से किस प्रकार स्थापित किया जाएगा;

(ग) स्वीकृत किये गये ऋणों के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं और क्या सरकार आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता देने के लिये आग्रह कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मे राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान, गुजरात के उद्योगों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण के विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु० में)

	1995-96	1996-97	1997-98
स्वीकृत सहायता	9132	8042	12042
संवितरित सहायता	4383	5723	9516

(ख) वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद कम्पनियों/संगठनों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जाती है। परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, चूंकि एक निवेश है अतः वित्तीय संस्थाएं सहायता प्रदान करने, यथा अपेक्षित परामर्श देने, और परियोजना पर निगरानी रखने, तथा सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित शर्तों के अनुरूप उसके कार्यान्वयन और प्रगति के संबंध में अपनी भूमिका निभाते हैं।

(ग) सभी परियोजना ऋणों और गैर-आयोजना ऋणों पर सामान्य रूप से लागू शर्तों के अनुसार, ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समीक्षा के समय अलग-अलग मामलों में परियोजना विशिष्ट शर्तें निर्धारित की जाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर० बी० आई०) के एक्सपोजर मानदण्डों संबंधी मार्गनिर्देशों में भी यह परिकल्पना की गई है कि किसी एकल कम्पनी का वित्तीय संस्थान एक्सपोजर 50% के अन्दर होगा और किसी एकल व्यापारिक समूह को उसकी शुद्ध मालियत का 50% होगा।

देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास करने की दृष्टि से सरकार ने 1988 में एक ग्रोथ सेंटर स्कीम की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत पूरे देश भर में 71 विकास केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Recommendations of CEGAT inquiry committee

*231. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have accepted the recommendations of Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Inquiry Committee to the effect that (i) a Member who hears a case which is not listed in the cause list should be held personally responsible for the loss; and (ii) no addition or substraction in the cause list should be permitted except by issueing a supplementary cause list on the preceding day;

(b) if so, when the above recommendation was accepted;

(c) what is the number of unlisted cases which have been heared by the Members of the tribunal since the acceptance of the above recommendtion; and

(d) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHNAN): (a) Yes, Sir.